labour in the carpet industry in the country?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) No survey has been conducted which reveals child labour industry-wise;

(b) to (d) Under the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 child labour in carpet weaving is banned. However. Government is aware that children continue to be employed in the Carpet industry due to socioeconomic reasons. Under the National Child Labour Project, development programme for the benefit of child labour have been taken up, which includes a project in Mirzapur-Bhadohi area of U.P. for child labour withdrawn from the carpet industry. The State Govem-mentjUnion Territories being the appropriate authority conduct regular inspections for the implementation of the Act.

भविष्य निधि की बकाया धनराशि

3219. **श्री मोहम्मद अफज़ल उर्फ मीम अफज़ुल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन कंपनियों पर तीन वर्ष से अधिक समय से भविष्य निधि की रकम बकाया है ; और

(ख) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) जो प्रतिष्ठान 3 वर्ष अथवा अधिक समय से भविष्य निधि बकायों का भुगतान नहीं कर रहे हैं उनके ब्यौरे अलग से नहीं रखे जाते हैं । तथापि, गैर छूट प्राप्त और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के नाम, जो 1 लाख रु० और अधिक के भविष्य निधि बकायों में चूककर्ता हैं, उनके विवरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वार्षिक रिपोर्ट के (क-3, क-4) में दिये गये हैं जो 26-3-1992 को राज्य सभा के पटल पर रखी गई थी ।

(ख) चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध बकाया देय की वसूली के लिये पहले ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है?

भविष्य निधि की बकाया राशि के भुगतान में विलम्ब

3220. **श्री मोहम्मद अफज़ल उर्फ मीम अफज़ल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भविष्य निधि कार्यालयों में भविष्य निधि के भुगतान में विलम्ब किया जाता है जिसके कारण खाताधारकों को असुविधा होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी फर्मों के कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने अथवा सेवानिवृत्त होने के तीन वर्ष बाद तक भी अपनी बकाया रकम नहीं मिल पाती है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ; और

(घ) इस संबंध में पिछले वर्ष कितनी शिकायतें मिली थीं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दावों के निपटान के लिए मानक निर्धारित किए हैं। मानकों के अनुसार, किसी भविष्य निधि दावे को इसके प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अंदर निपटान होता है । सामान्यतः उन मामलों को छोड़कर जो अधूरे होते है और जिनमें सुधार की आवश्यकता होती है, सभी मामले निर्धारित मानकों के अनुसार निपटाये जाते हैं । दावों को शीघ्र निपटाने के क्रम में सतत मानीटरिंग और उपचारात्मक कार्रवाई जहां कहीं यह आवश्यक हो करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, में एक प्रबंध सूचना पद्धति गठित की गई है।

1990-91 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को 76,676 शिकायतें प्राप्त हुई (जबकि इसी अवधि के दौरान 17,59,498 दावे निपटाये गये हैं)।